असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 नवम्बर, 2018

षोडश विधान-सभा 28 नवम्बर, 2018 ई0

---------- बुधवार, तिथि ----------

एकादश सत्र 07 अग्रहायण,1940(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

प्रश्न हो जाने दीजिये न, तब अपनी बात कहियेगा ।

(व्यवधान)

अल्पूसचित प्रश्न संख्या: 'क'- 5

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

प्रश्नकाल तो चलने दीजिये न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही 11.03 बजे पूर्वाह्न में स्थगित हुई)

टर्न-2/मधुप/28.11.2018

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

डॉ0 मुहम्मद जावेद : महोदय, सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : अभी क्या सुन लिया जाय ?

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के तहत बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी क्या सुनें ? क्या कहना चाहते हैं ? बैठिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मर्यादा के खिलाफ काम हो रहा है ।

अध्यक्ष : सदन के अन्दर कहाँ कोई मर्यादा भंग हो रही है ?

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभापति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति ।

(व्यवधान)

सब आदमी बैठिएगा तब न कोई एक आदमी बोलेगा !

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार विबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम एवं बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का क्रमशः 197वाँ, 200वाँ एवं 202वाँ, 201वाँ, 203वाँ एवं 204वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या बोलना चाहते हैं ? बोलिये ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, हम सारे लोग एक संगीन मामले पर.....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल-परसों दो दिन कांग्रेस के माननीय सदस्य कोई सवाल उठाना चाहते थे लेकिन आर0जे0डी0 के माननीय सदस्य लोग उनको बोलने नहीं देते थे और आज बड़ा दयावान बन रहे हैं, आज बहुत नियम का हवाला दे रहे हैं । जब वे उठते हैं तो ये माइलेज लेने के लिए खड़ा हो जाते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं । इसलिए दयावान ज्यादा मत बनिए । रामदेव बाबू पुराने मेम्बर हैं और उनका जो संशोधन प्रस्ताव आया है, एक पर भी उनको बहस करने का इनलोगों ने मौका नहीं दिया।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, क्या कह रहे हैं ?

श्री रामदेव राय : मैं यह कहना चाह रहा हूँ श्रीमान्, हमलोग आधे दर्जन से ज्यादा विधायक के जरिए आपकी सेवा में कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाए थे । कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आप किस कारण अस्वीकृत कर दिए, इसकी जानकारी सही-सही नहीं हो पा रही है जबकि यह संगीन मामला है । देश और दुनिया के सामने सी0बी0आई0 का पर्दाफाश हो चुका है जिसपर केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप है ।

अध्यक्ष : अब आप सुनिए रामदेव बाबू.....

श्री रामदेव राय : सी0बी0आई0 बिल्कुल केन्द्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है ।

अध्यक्ष : अब आप सुनना चाहेंगे कि केवल बोलना चाहेंगे ?

श्री रामदेव राय : सुना जाय, हुजूर । आप आसन पर हैं, अगर आप ही लालू यादव जी होते और आपको जबर्दस्ती जेल में बंद करके सड़ाया जाता, भय से, डर से, आतंक से, तो क्या हालत होती ? इसलिए आप इसपर विचार कीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री रामदेव राय : मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसपर स्पेशल डिबेट करवाइये और जल्दी से जल्दी...

अध्यक्ष : हो गया अब, बोल लिए ।

श्री रामदेव राय : कहाँ हुआ हुजूर ? पूर्ण नहीं हुआ है । हमारी बात पूरी सुन ली जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आकर एक साथ बोलने लगे ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : विजय प्रकाश जी, टेबुल क्या बिगाड़ता है आपका ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत् माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना प्रस्ताव मूव नहीं करेंगे ?

(व्यवधान जारी)

मूव नहीं करेंगे ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री भोला यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

टेबुल क्या बिगाड़ता है भाई ? मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(वेल में व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड-2 में 7 संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।"

(व्यवधान)

महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरे लिखित भाषण को कार्यवाही का पार्ट बना दिया जाय।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जो लिखित दस्तावेज दिया है, वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-3/आजाद/28.11.2018

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह कौन-सा जीव-जन्तु की आवाज आ रही है सदन में, महोदय, यह तो जाँच का विषय है, यह मानव की आवाज कहीं से नहीं लग रही है, इसलिए जाँच करायी जाय और मेडिकल टीम विधान सभा में बैठी है महोदय, उससे जाँच करायी जाय । यह मानव की आवाज नहीं लग रही है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब .....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि मानव की आवाज नहीं लग रही है,

अध्यक्ष : क्या ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : मानव की आवाज नहीं लग रही है .....

अध्यक्ष : नहीं, नहीं, सब इसमें मानव हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : माननीय मंत्री जी, यह शब्द वापस लेने का काम करें। दूसरी बात, अमानवतापूर्ण जो घिनौना काम मुजफ्फरपुर में हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपलोगों को फटकार लगाने का काम किया है, वह कौन सा काम किया है.....

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : आपकी पार्टी के लोगों को कितनी बार फटकार लगाया गया है, एक बार नहीं अनेकों बार फटकार लगाया गया है .....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही 2.14 बजे अपराह्न में स्थगित हुई)

.....

परिशिष्ट

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री :–

महोदय,

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 औद्योगिक विवादों की जाँच एवं निपटारे से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है । इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक शांति एवं श्रम तथा प्रबंधन के बीच सौहाद्रपूर्ण संबंध स्थापित करना है ।

इस अधिनियम की धारा-2 में वर्णित "कर्मकार" की परिभाषा में "विक्रय संवर्धन (Promotion of sales) से जुड़े हुए कर्मी सम्प्रति शामिल नहीं है, जिस कारण उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 द्वारा कर्मियों के हित संबंधी प्रावधानों का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है ।

अत: कर्मकार की परिभाषा में विक्रय संवर्धन से जुड़े हुए कर्मी को शामिल करने हेतु उक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का उद्देश्य है ।

अत: मैं सदन से आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को स्वीकृत करने की कृपा करें ।